

नव भारत



संजय दुबे

नगरीय निकायों में गड़बड़ी, 392 पर कार्रवाई

135 सीएमओ भी घरे में, सात कर्मचारी बर्खास्त, 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायर्स पर भी कार्रवाई

विशेष प्रतिनिधि
भोपाल. प्रदेश के नगरीय निकायों में लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 392 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है.

इनमें 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) स्तर के अधिकारी शामिल हैं. इसके अलावा, सामान की आपूर्ति में गलत दरें सामने आने पर 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायर्स पर भी कार्रवाई की गई है.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के अनुसार, अनियमितताओं की गंभीरता के आधार पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ अलग-अलग कदम उठाए गए हैं. इनमें वेतन वृद्धि रोकने,

पदावनति और राशि की वसूली जैसी कार्रवाई शामिल है. अब तक सात अधिकारी-कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है. संबंधित मामलों में करीब तीन से चार करोड़ रुपये की वसूली भी की गई है.

गलत दरों पर सप्लाय करने वालों पर शिकंजा

विभाग के अनुसार, नगरीय निकायों में सामग्री की आपूर्ति के दौरान गलत दरों से जुड़े मामले सामने आए हैं. ऐसे मामलों में 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है. विभाग का कहना है कि सरकारी धन के उपयोग में गड़बड़ी और कामकाज में लापरवाही के मामलों में जिम्मेदारी तय की जा रही है.

जवाबदेही तय करने पर जोर

अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि नगरीय निकायों में अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विभाग का जोर सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, नियमों के पालन और सार्वजनिक धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने पर है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अनियमितताओं के मामलों में कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. इसका उद्देश्य निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

एक नजर में गाय के पालक को मिलेगा 1 लाख का इनाम

इंदौर. भारतीय नस्ल की उन्नत गायों के पालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इंदौर जिले में गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की जा रही है. वृंदावन ग्राम योजना के तहत 27 से 31 अक्टूबर तक रंगवासा, दत्तोदा, शिवनी और बनेड़िया में प्रतियोगिता आयोजित होगी. ज्यादा दूध देने वाली गायों के पालकों को पुरस्कृत किया जाएगा. प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये मिलेंगे. पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के उप संचालक डॉ. दिनकर राव के अनुसार, प्रतियोगिता में उन्हीं पशुपालकों को शामिल किया जाएगा.

सस्ते सोने का लालच देकर महिला से 2 लाख की ठगी

ग्वालियर. मुरार थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर दोस्ती कर एक शादीशुदा महिला से 2 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. आरोपी ने पाकिस्तान के कटरी कोड (+92) वाले नंबर से फोन कर महिला को सोना पिपट करने का लालच दिया. बाद में मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़े जाने की कहानी सुनाकर रुपए मांगे. महिला ने 12 बार में अलग-अलग वयूआर कोड पर रकम ट्रांसफर कर दी. इसके बाद भी आरोपी ने और रुपए मांगे तो महिला को ठगी का अहसास हुआ.

42 लाख वोटरों के नाम कटने का कांग्रेस का दावा

इंदौर. मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (खूब्रू) को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस वर्किंग कमिटी के सदस्य और मध्य प्रदेश के एआईसीसी पर्यवेक्षक मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान ने दावा किया कि प्रदेश में मतदाता सूची से करीब 42 लाख नाम हटाए गए हैं. उन्होंने इसकी जांच कराने और पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने की मांग की. रविवार को गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया रद्द करने की भी मांग उठाई.

गुस्ताखी माफ



डीजीपी की कुर्सी का गणित बिगाड़ते दो दिन

- मकवाणा का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज
- वरुण कपूर की दावेदारी पर मंडरा रहा संकट टला



नीलेंद्र पटेल
भोपाल, 25 अक्टूबर. मध्यप्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति से पहले दो दिन का अंतर दावेदारों का समीकरण बदल सकता था. डीजीपी कैलाश मकवाणा की सेवानिवृत्ति 30 नवंबर से बढ़ाकर 2 दिसंबर 2026 करने का प्रस्ताव मंजूर होने पर डीजी जेल डॉ. वरुण कपूर की पात्रता प्रभावित हो सकती थी. कपूर 30 मई 2027 को सेवानिवृत्त होंगे और डीजीपी पद के लिए कम से कम छह महीने की सेवा शेष रहना जरूरी है. हालांकि, गृह विभाग ने प्रस्ताव खारिज कर दिया है, जिससे कपूर की दावेदारी पर मंडरा रहा संकट फिलहाल टल गया है.

कपूर ने नियमों का हवाला दिया

गृह विभाग की आपत्ति के साथ डॉ. वरुण कपूर ने भी प्रस्ताव पर सवाल उठाए. उन्होंने मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला के सामने डीजीपी नियुक्ति से जुड़े नियमों का पक्ष रखा. मामला मकवाणा

दो दिन का अंतर पड़ सकता था भारी
यदि नियुक्ति 1 दिसंबर 2026 से प्रभावी होती, तो कपूर की सेवानिवृत्ति तक छह महीने पूरे हो जाते. लेकिन 3 दिसंबर से नियुक्ति प्रभावी होने पर यह अवधि दो दिन कम रह जाती. यही अंतर उनकी पात्रता के लिए निर्णायक हो सकता था. हालांकि, अंतिम निर्णय लागू नियमों और नियुक्ति की प्रभावी तारीख की आधिकारिक व्याख्या पर निर्भर करेगा.

पंकज श्रीवास्तव का नाम भी चर्चा में

स्पेशल डीजी पंकज श्रीवास्तव का नाम भी संभावित बदलाव के बीच चर्चा में आया. उन्हें प्रस्तावित पैलन में चौथे स्थान पर बताया जा रहा है. कपूर की अपात्रता की स्थिति में अन्य दावेदारों की भूमिका बढ़ सकती थी, लेकिन इससे श्रीवास्तव का चयन तय नहीं होता. नए डीजीपी के चयन के लिए प्रदेश के 12 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे गए हैं. इनमें वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं. अब यूपीएससी पात्रता, वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर पैलन तैयार करेगा, जिसके आधार पर राज्य सरकार नए डीजीपी की नियुक्ति करेगी.

डीजीपी नियुक्ति की तारीख के साथ-साथ नए डीजीपी पद के दावेदारों की पात्रता से भी जुड़ गया था.

जवाब नहीं देने पर प्रमुख सचिव पर 25 हजार का लगाया जुर्माना

29 अक्टूबर तक जवाब पेश करने का निर्देश

चूकने पर 3 नवंबर को होना होगा हाजिर

नवभारत न्यूज
जबलपुर, 25 अक्टूबर. हाईकोर्ट ने सात साल से लंबित याचिका में जवाब पेश नहीं करने पर उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपिठ ने 29 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में जवाब दाखिल

करने के निर्देश दिए हैं. ऐसा नहीं होने पर प्रमुख सचिव को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारी को निजी खाते से जमा करनी होगी.

सतना निवासी सत्येंद्र शर्मा की ओर से वर्ष 2019 में याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता की अधिवक्ता सोनाली बिस्वास परोचे ने बताया कि 23 सितंबर 2019 को नोटिस जारी होने के बावजूद शासन ने अब तक जवाब पेश नहीं किया है.

जमीन धोखाधड़ी में 43 लाख की ठगी का आरोप

नवभारत न्यूज
इंदौर, 25 अक्टूबर. शहर में जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी के दो मामले सामने आए हैं. क्राइम ब्रांच ने शिकायतों की जांच के बाद अलग-अलग आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. एक मामले में ब्रोकर पर प्लॉट बेचकर 43.53 लाख रुपए हड़पने का आरोप है, जबकि दूसरे में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्लॉट बेचने की कोशिश का मामला सामने आया है.

पहले मामले में पुणे निवासी तनुजा सिद्धेश्वर ने न्यू बिजलपुर निवासी मोहित पिपले के खिलाफ शिकायत की है. तनुजा ने संस्कृति



पाम स्थित प्लॉट नंबर 401 और 402 बेचने के लिए मोहित को दिए थे. दोनों प्लॉटों का सोदा 73.20 लाख रुपए में तय हुआ था. आरोप है कि मोहित ने पहले प्लॉटों की रजिस्ट्री अपने नाम कराई, लेकिन बकाया 43.53 लाख रुपए तनुजा को नहीं दिए. इसके बाद उसने प्लॉट दूसरे लोगों को बेचकर रजिस्ट्री करा दी और पूरी रकम खुद रख ली. शिकायत के अनुसार, वह लगातार टालमटोल करता रहा और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया.

दूसरे मामले में कांच व्यापारी शाहिद उमर खां ने जाकिर चौहान के खिलाफ शिकायत की है. शाहिद ने मयूर गृह निर्माण सहकारी संस्था को 900 वर्गफीट का प्लॉट एक डॉक्टर से खरीदा था. वर्ष 2024 में उन्हें पता चला कि जाकिर इस प्लॉट को अपनी पत्नी शम्भा बी के नाम पर बताकर बेचने की कोशिश कर रहा है. विरोध करने पर धमकी देने का भी आरोप है. जांच में सामने आया कि जाकिर ने प्लॉट सक्षम के जरिए खरीदने का दावा किया था, जबकि सक्षम संस्था का सदस्य नहीं था. दस्तावेजों पर संस्था के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर फीले पाए गए.

परेशानी

मिट्टी की गाद से नदी उथली होने और घड़ियाल-डॉल्फिन के आवास प्रभावित होने का खतरा

छह साल में 59 हजार हेक्टेयर बीहड़ खत्म, चंबल पर बढ़ा खतरा

पहले यहां 1.73 लाख हेक्टेयर में बीहड़ थे

अब घटकर 1.14 लाख हेक्टेयर रह गए

नवभारत न्यूज
मुरैना, 25 अक्टूबर. चंबल घाटी का भूगोल तेजी से बदल रहा है. बीहड़ों को समतल कर खेती के लिए जमीन तैयार की जा रही है. इससे मिट्टी कटकर चंबल नदी में पहुंच रही है, जिससे नदी में गाद बढ़ने और जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास पर संकट का



खतरा पैदा हो गया है. इसरो और मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की सैटेलाइट मैपिंग से जुड़े आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2018-19 से 2024-25 के बीच कु मुरैना, भिंड और श्योपुर में

घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए बढ़ा संकट

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की 'मॉडल रीवेन रिवलेशन प्लान' के अनुसार, चंबल की 40 प्रतिशत से अधिक बांरिकंग साइट्स प्रभावित होने का दावा है. ये रेतिले तट घड़ियालों के घुप संकने और अंडे देने के साथ कछुओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं. मिट्टी के कटाव और नदी के बहाव में बदलाव से घड़ियालों के अंडों को नुकसान और गंगा डॉल्फिन के आवागमन में बाधा का खतरा है. राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के अधीक्षक श्याम सिंह चौहान के अनुसार, अभयारण्य क्षेत्र में कई जगह राजस्थ भूमि भी आती है.

35 हजार हेक्टेयर जमीन पर कच्चे का दावा

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, घटे हुए बीहड़ क्षेत्र में से 24 हजार हेक्टेयर जमीन सरकारी योजनाओं के तहत समतल की गई. शेष 35 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में भू-माफिया द्वारा अवैध समतलीकरण और कच्चे का दावा किया गया है.

आचरण-व्यवहार से स्वयंसेवकों की पहचान

जबलपुर में कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम में कहा

नवभारत न्यूज
जबलपुर, 25 अक्टूबर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि संघ की वास्तविक पहचान उसके स्वयंसेवकों के आचरण और व्यवहार से होती है. इसलिए प्रत्येक स्वयंसेवक का आचरण ऐसा होना चाहिए, जिसे समाज अनुकरणीय मान सके. संघ में आने का उद्देश्य कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि समाज को अपना योगदान देना होना चाहिए. डॉ. भागवत शनिवार को जबलपुर के नरसिंह मंदिर स्थित सरस्वती शिक्षा परिषद एवं विद्या

भारती कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य शिक्षक और उससे ऊपर के दायित्वों पर काम

कर रहे स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन किया. स्वयंसेवकों से निस्वार्थ सेवा और समर्पण की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा लेकर संघ में आने वाला व्यक्ति स्वयंसेवक के वास्तविक भाव को नहीं समझ सकता. समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना और अपने योगदान से दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना ही स्वयंसेवक का मूल उद्देश्य होना चाहिए.

स्वयंसेवक ही संगठन का वास्तविक प्रतिनिधि

सरसंघचालक ने कहा कि संघ की पहचान केवल किसी कार्यालय, शाखा या समूह से नहीं बनती, बल्कि स्वयंसेवक ही संगठन का वास्तविक प्रतिनिधि होता है. उसका व्यवहार और आचरण समाज के सामने संघ की छवि प्रस्तुत करता है. ऐसे में स्वयंसेवकों को अपने आचरण के प्रति सजग रहना चाहिए, ताकि उनके व्यवहार से समाज को सही संदेश मिले.